पत्र संख्या–पेंशन अनुभाग–जी0पी0एफ0(सामान्य) / /2024–25 / / 03 / /राज्य कर
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश, (पेंशन अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: ~~मार्च~~ 02/04, 2025

1– **समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
2– **उप निदेशक / आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।**
3– **उपायुक्त एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।**

विषय : राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के मिलान पत्र व अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र शतप्रतिशत ऑनलाईन जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक पत्र के साथ संलग्न वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1 / 2025 / जी–2–20 / दस–2025 दिनांक 30.01.2025 की छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के पश्चात् सेवानिवृत्त व सेवाकाल में मृत्यु के देय प्रकरणों में दिनांक 01.02.2025 से मिलान प्रमाण पत्रों एवं अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का प्रेषण शतप्रतिशत ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही किया जायेगा और उक्त के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अतएव उक्त के क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था / प्रक्रिया का पालन उक्त शासनदेशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0वदिनांकउक्त
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (प्रशा0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1 / ग्रेड–2, जोनल कार्यालय, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
5. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या–पेंशन अनुभाग–जी0पी0एफ0(सामान्य)//2024–25// 03 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश, (पेंशन अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: ~~मार्च,~~ 02/04/ 2025

1– समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2– उप निदेशक/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

3– उपायुक्त एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

विषय : राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के मिलान पत्र व अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र शतप्रतिशत ऑनलाईन जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक पत्र के साथ संलग्न वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1/2025/जी–2–20/दस–2025 दिनांक 30.01.2025 की छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के पश्चात् सेवानिवृत्त व सेवाकाल में मृत्यु के देय प्रकरणों में दिनांक 01.02.2025 से मिलान प्रमाण पत्रों एवं अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का प्रेषण शतप्रतिशत ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही किया जायेगा और उक्त के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अतएव उक्त के क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था/प्रक्रिया का पालन उक्त शासनदेशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि

ह0/-
(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0वदिनांकउक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (प्रशा0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1/ग्रेड–2, जोनल कार्यालय, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
5. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-1/2025/जी-2-20/दस-2025

प्रेषक

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2025

विषयः-राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के मिलान पत्र व अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र शतप्रतिशत ऑनलाइन जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-4/2024/जी-2-218/दस/2024, दिनांक 07-08-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भविष्य निधि खातों के रख-रखाव की ऑनलाइन प्रणाली माह अगस्त, 2024 से PILOT आधार पर क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं । उक्त PILOT प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में महालेखाकार कार्यालय द्वारा मिलान प्रकरणों व अंतिम भुगतान प्रकरणों से सम्बंधित AUTHORITY का ऑनलाइन प्रेषण किया जा रहा है, जो कि सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषाधिकारी एवं अभिदाता को ऑनलाइन उपलब्ध हो रहे हैं। दिनांक 31-01-2025 के पश्चात महालेखाकार कार्यालय द्वारा मिलान पत्रों तथा अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों की भौतिक प्रति का प्रेषण स्थगित करते हुए, सामान्य भविष्य निधि (ENTITLEMENT FUNCTION) में END TO END DIGITIZATION लागू किया जा रहा है।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के पश्चात सेवानिवृत्त व सेवाकाल में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मृत्यु के देय प्रकरणों में दिनांक 01-02-2025 से मिलान पत्रों एवं अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का प्रेषण शतप्रतिशत ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही किया जायेगा और उक्त के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

अतएव आपसे अनुरोध है कि राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के मिलान पत्र एवं अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (ऑडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 202501-183/कम्प्यू0/150/विविध/को0नि0, दिनांक 24 जनवरी, 2025 के क्रम में उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
(4) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
अनुराग गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।